महामारी से मुनाफा बनाना: भारत में राज्य सरकारें ट्रेड यूनियन अधिकारों और मज़दूर सुरक्षा को खत्म कर रही है।

13.05.20 हिंदी अनुवाद

भारत में कोविड-19 आपातकाल के प्रभाव से आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने की आढ़ में कार्यस्थल पर मौलिक अधिकारों पर तेज़ी से हमला हो रहा है। उत्तर प्रदेश (भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य), मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की सरकारें निम्नलिखित अनुमति देने के लिए कानून वापस ले रही हैं या निलंबित कर रही हैं:

- ओवरटाइम वेतन के बिना काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 करना
- न्यूनतम मज़दूरी कानून का निलंबन
- स्थायी मज़दूरों को समाप्त करने और अनुबंध पर काम करने वालों के साथ प्रतिबंधों को हटाने, काम पर रखने और नियोक्ता की सुविधा में होने के लिए फायरिंग के साथ
- स्थायी मज़दूरों को हटा के उन्हें ठेका मजदूरों से बदलने के प्रतिबंधों को हटाना, नियोक्ता की 'सुविधा' के हिसाब से मज़दूरों को काम पर रखने और हटाना
- सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं को अनिवार्य नियोक्ता के योगदान को आस्थगित करनानए कारखानों को सरकारी श्रम निरीक्षण से छूट

उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 साल के लिए 30 कानूनों और अधिनियम को निलंबित करने की योजना की घोषणा की है इसमें औद्योगिक विवादों के निपटारे, कार्यस्थल स्वास्थ्य और सुरक्षा, पानी और स्वच्छता, कैंटीन और क्रेच सहित सुविधाओं के रखरखाव, ट्रेड यूनियन अधिकारों और अनुबंध मज़दूरों के रोजगार के कानून शामिल है।

मध्य प्रदेश नियोक्ताओं को लंबी अवधि के लिए ठेका मज़दूरों को काम पर रखने, प्रमुख उद्योगों में संघ की मान्यता और सामूहिक सौदेबाजी को बाइपास करने और नई फर्मों को सामूहिक सौदेबाजी और विवाद निपटान तंत्र से मुक्त करने की अनुमति देगा।

कड़ी मेहनत से जीते गए ट्रेड यूनियन और मज़दूरों के अधिकारों और ILO सम्मेलनों में किए गए संरक्षण का हनन भारतीय लोकतंत्र के धर्मनिरपेक्ष आधार पर राष्ट्रीय सरकार के चल रहे हमलों के भीतर ही बढ़ रहे हैं। IUF भारत में अपने सदस्यों के साथ और एक सत्तावादी हमले के खिलाफ मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए व्यापक श्रम आंदोलन के साथ अपनी पूर्ण एकजुटता की पुष्टि करता है और हम उनका समर्थन करने के लिए सभी प्रयास करेंगे।